न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3299–।।/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.07.2013 पारित द्वारा आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 12/2011–12 अपील

1– मुस0 कैरी कुशवाह पत्नि स्व. महावीर कुशवाह
2– राजबहोर कुशवाह पुत्र स्व.महावीर कुशवाह
3– राजभान कुशवाह पुत्र स्व.महावीर कुशवाह
4– ललिता कुशवाह पुत्र स्व.महावीर कुशवाह
5– सीताकुमारी पुत्री स्व.महावीर कुशवाह
6– संगीता उर्फ रम्बा कुशवाह पुत्री स्व.महावीर कुशवाह
7– सुखलाल कुशवाह पुत्र धनी कुशवाह
सभी निवासी ग्राम देवगढ़ तहसील गोपदवनास, जिला सीधी ———आवेदकगण

विरूद्ध

1– शिवपाल केवट पुत्र रामदास केवल निवासी
ग्राम देवगढ़ तहसील गोपदवनास, जिला सीधी
2– मध्य प्रदेश शासन ———अनावेदकगण

(श्री डी0एस0चौहान अभिभाषक – आवेदकगण)
(श्री आर0डी0शर्मा अभिभाषक –अनावेदक क–1)
(श्री डी0के0शुक्ला शासन के पैनल अभिभाषक)

अ ा दे श

(आज दिनांक 28 फरवरी 2015 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 12/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 22.7.2013 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक क्र–1 ने तहसीलदार वृत्त सेमरिया तहसील गोपदबनास/सिहावल जिला सीधी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि उसके स्वामित्व के पुराने खसरा नंबर 305 रकबा 0.09 हैक्टर जिसका नया खसरा नंबर 372 रकबा 0.09 हैक्टर तथा पुराना खसरा नंबर 306 रकबा 0.03 हैक्टर, 294 रकबा 0.06 हैक्टर नये नबर 373 रकबा 0.03 है. एंव 374 रकबा 0.06 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 0.18 हैक्टर है जिनकी बेची टीप दिनांक 22–6–78 के आधार पर सहायक बंदोवस्त अधिकारी दल क्रमांक 5 सीधी को नामान्तरण आवेदन दिया था, जिस पर आदेश दिनांक 25–3–98 से नामान्तरण किया गया है, किन्तु इस आदेश का अमल पटवारी अभिलेख में नहीं हुआ है इसलिये अमल किया जावे। तहसीलदार वृत्त सेमरिया तहसील गोपदबनास ने प्रकरण क्रमांक 3 अ 74/2004–05 पंजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 30.11.2004 से सहायक बंदोवस्त अधिकारी के आदेश दिनांक 25–3–98 का अमल किये जाने के आदेश दिये। तदुपरांत इसी प्रकरण में आदेश दिनांक 11–7–05 पारित किया तथा पूर्वादेश दिनांक 30.11.2004 को अमान्य करते हुये भूमि को पूर्ववत् पूर्व भूमिस्वामी के नाम दर्ज किये जाने का निर्णय लिया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक क्रमांक–1 ने प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, गोपदबनास/सिहावल जिला सीधी के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी, गोपदबनास/सिहावल ने प्रकरण क्रमांक 115/2009–10 अपील में पारित आदेश दिनांक 27 अक्टूवर 2010 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 11–7–2005 निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी, गोपदबनास/सिहावल के इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील करने पर प्रकरण क्रमांक 12/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 22–7–2013 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि सहायक बंदोबस्त अधिकारी का आदेश त्रुटिपूर्ण था इसलिए तहसीलदार द्वारा उस आधार पर दिनांक 30–1–2004 को अमल कराने के आदेश देने के बाद जब उन्हें पता चला कि आदेश फर्जी है तब उन्होंने

फर्जी आदेश के आधार पर अमल करने संबंधी किए गए आदेश की त्रुटि को सुधार करते हुये दिनांक 11–7–2005 को उसे निरस्त कर दिया। तहसीलदार ने आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की क्योंकि सहायक बंदोबस्त अधिकारी का आदेश फर्जी था। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील में अनुविभागीय अधिकारी तथा अपर आयुक्त द्वारा अपील में आदेश करते समय इस बिन्दु पर विचार नहीं किया। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी तथा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक अभिभाषक का तर्क है कि सहायक बंदोबस्त अधिकारी का आदेश फर्जी नहीं था। फर्जी होने का कोई प्रमाण भी नहीं था तथा एक बार उस आदेश के आधार पर अमल करने के आदेश देने के बाद स्वतः अपने ही आदेश को सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना तथा पक्षकार को सूचित किए बिना ही आदेश निरस्त कर दिया जो अवैधानिक है। अतः अनुविभागीय अधिकारी तथा अपर आयुक्त ने तहसीलदार का आदेश निरस्त कर उचित किया है।

5/ विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनावेदक क–1 ने तहसीलदार वृत्त सेमरिया तहसील गोपदबनास जिला सीधी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम देवगढ़ स्थित कुल किता 3 कुल रकबा 0.18 हैक्टर का बेची टीप दिनांक 22–6–78 के आधार पर सहायक बंदोवस्त अधिकारी दल कमांक 5 सीधी व्दारा पारित नामान्तरण आदेश दि 25–3–98 का पटवारी अभिलेख अमल करने का आवेदन दिया , जिस पर से प्रा0 क0 3 अ 74/ 2004–05 पंजीबद्व हुआ एंव तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 30.11.2004 को सहायक बंदोवस्त अधिकारी के नामान्तरण आदेश का अमल किये जाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार ने पुनः इसी प्रकरण में दिनांक 11–7–05 को अपने पूर्वादेश दिनांक 30.11.2004 को अमान्य करते हुये भूमि पूर्ववत् पूर्वभूमिस्वामी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये। तहसीलदार की आर्डरशीट दिनांक 11–7–05 के अवलोकन से पाया कि उन्होंने पूर्वादेश दिनांक

30.11.2004 की निरन्तरता में आर्डरशीट दिनांक 11–7–05 लिखकर पूर्वादेश दिनांक 30.11.2004 को निरस्त कर दिया। इसके लिए तहसीलदार ने सक्षम अधिकारी से प्रकरण के रिव्यू की अनुमति नहीं ली, आदेश करने के पूर्व किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की एंव न ही किसी हितबद्व पक्षकार को सुनवाई का मौका दिया। स्पष्ट है कि तहसीलदार का आदेश दिनांक 11–7–2005 विधि एंव प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास/सिहोरा ने प्रकरण कमांक 115/2009–10 अपील में पारित आदेश दिनांक 27 अक्टूवर 2010 से निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है और इन्हीं कारणों से आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 22–7–2013 की विवेचना में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। अतः आयुक्त तथा अनुविभागीय अधिकारी व्दारा दिया गया आदेश उचित है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 12/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 22.7.2013 स्थिर रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0,
ग्वालियर